UPBJ010113102023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 2161/2023

सरकार बनाम निशाद

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **निशाद** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 25–08–2023 को समय 11:00 बजे वहद ग्राम सभाचंदपुर मोहन थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर में आपने वादिनी मुकदमा सोमी देवी की पुत्री मीना का बलात्कार करने के आशय से व्यपहरण किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 366 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा सोमी देवी की पुत्री मीना का व्यपहरण करके पूना में अज्ञात स्थान पर बलात्कार किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा सोमी देवी की पुत्री मीना को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा सोमी देवी की पुत्री मीना का व्यपहरण कर पूना में बलात्कार यह जानते हुए किया कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.10.19 16:42:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3 (2) 5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 19–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 19–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010113102023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 2161/2023

सरकार बनाम निशाद

19–10–2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त निशाद जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त निशाद के विरूद्व धारा 366,376,506 भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 19–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त निशाद के विरूद्व धारा 366,376,506 भा0द0सं0 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक –11–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 19–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।